भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1032

जिसका उत्तर मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सिबिल स्कोर का युक्तिकरण

1032. श्री संदोष कुमार पी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं की ऋण तक पहुंच पर सिबिल स्कोर के नकारात्मक प्रभाव से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं के साथ-साथ ऋणदाताओं को भी सहायता प्रदान करने हेतु सिबिल स्कोर की गणना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है;

(ग) क्या सरकार के पास जनता के बीच ऋण साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने की कोई योजना है ताकि गरीब उपभोक्ता ऋण संकट में न फंसें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): क्रेडिट स्कोर सहित, क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर), उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास के आधार पर क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाती है, जिन पर क्रेडिट सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा विचार किया जाता है। क्रेडिट स्कोर का निर्धारण सीआईसी द्वारा उनके संबंधित स्वामित्व मॉडल का उपयोग करके, सीआई द्वारा प्रस्तुत क्रेडिट जानकारी के आधार पर किया जाता है।

क्रेडिट स्कोर, ऋणदाता को ऋण पात्रता और ऋण तथा अग्रिम राशि चुकाने की उधारकर्ता की क्षमता का आकलन करने तथा उसके द्वारा ली गई या ली जाने वाली ऋण सुविधा के संबंध में अन्य दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाता है।

हालाँकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण आवेदनों की स्वीकृति के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर निर्धारित नहीं किया है। एक विनियमन-मुक्त ऋण परिवेश में, ऋणदाता अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और व्यापक विनियामक दिशानिर्देशों के आधार पर अपने वाणिज्यिक विचारों के अनुसार ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं और सीआईआर में निहित जानकारी, विभिन्न अन्य इनपुट/कारकों के साथ, उन इनपुटों में से एक होगी, जिन पर ऋणदाता किसी संभावित उधारकर्ता को कोई भी ऋण सुविधा प्रदान करने से पहले विचार करेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि विनियमित निकायों (आरई) के ऋण संबंधी मामले अधिकांशत अविनियमित हैं और ये उधारकर्ता और संशोधित अनुमान के बीच ऋण करार के संगत विनियामक और सांविधिक अपेक्षाओं तथा निबंधन एवं शर्तों के दायरे में तैयार किए गए आरई की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों द्वारा अभिशासित होते हैं। इस संदर्भ में, सीआईआर में विलंबित पुनर्भुगतान, निपटाए गए ऋण, पुनर्गठित, बट्टे खाते आदि की जानकारी सहित पिछले चुकौती इतिहास की जानकारी, उधारकर्ता की साख का आकलन करने और उधारदाताओं को सूचित ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, सीआई के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों के भाग के रूप में, आरबीआई ने संदर्भगत मास्टर निदेश के तहत सीआई को सलाह दी है कि पहली बार उधारकर्ताओं के ऋण आवेदनों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है।

(ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट स्कोर निर्धारित करने के लिए मानक पद्धति के संबंध में सीआईसी को कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए हैं। सभी चार सीआईसी के पास क्रेडिट स्कोर निर्धारित करने के लिए अपने-अपने स्वामित्व मॉडल हैं और स्कोर की गणना करते समय सीआईसी द्वारा विभिन्न इनपुट/कारकों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिदेशित किया है कि आसान और सुसंगत तरीके से क्रेडिट स्कोर को समझने और व्याख्या को सुविधाजनक बनाने के लिए, सभी सीआईसी द्वारा क्रेडिट स्कोर को 300 से 900 तक कैलिब्रेट किया जाएगा, ताकि उनके पास क्रेडिट स्कोर का एक सामान्य वर्गीकरण हो।

(ग) से (ड.): सभी सीआईसी ने सार्वजनिक प्रचार-प्रसार के लिए अपनी वेबसाइट पर क्रेडिट स्कोर में सुधार संबंधी जानकारी सामग्री अपलोड की है।

ऋण अनुशासन और दायित्वपूर्ण ऋण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, आरबीआई विभिन्न जागरूकता उपाय और पहल करता है। आरबीआई द्वारा की गई कुछ पहल निम्नानुसार हैं:-

क. वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना:

वित्तीय साक्षरता पर सीएफएल प्रायोगिक परियोजना वर्ष 2017 में आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय के नेतृत्व में अभिनव और भागीदारी दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसमें वित्तीय साक्षरता का प्रचार करने के लिए देश भर में ब्लॉक स्तर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया था। सीएफएल परियोजना के अंतर्गत दायित्वपूर्ण ऋण के बारे में जागरूकता को शामिल किया गया है।

ख. वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा शिविरों का आयोजन:

(i)एफएलसी:

बैंकों को अपने एफएलसी और विभिन्न लक्षित समूहों जैसे किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है।

(ii)बैंकों की ग्रामीण शाखाएं:

बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन सभी संदेशों को कवर करते हुए शिविर आयोजित करें जो वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका का भाग हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी बैंकिंग, उत्तरदायी उधार आदि सहित वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर संदेश शामिल हैं।

ग. वित्तीय जागरूकता संदेश (एफएएमई):

बुनियादी बैंकिंग, जिम्मेदार उधार, साख योग्यता आदि सहित महत्वपूर्ण बैंकिंग पहलुओं पर वित्तीय जागरूकता के लिए जनसाधारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानकीकृत सामग्री विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, आरबीआई ने वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका विकसित की है। इसके अलावा, पांच लक्षित समूहों अर्थात् किसानों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों, स्कूली बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्ष्य समूह विशिष्ट विषय-वस्तु भी तैयार की गई है।

घ. वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू):

आरबीआई देश भर में आम जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष एफएलडब्ल्यू का आयोजन कर रहा है। सप्ताह के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक स्थानों पर संदेशों के प्रसार सहित जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए चुने गए विषय पर उपयुक्त कार्यक्रम चलाता है। बैंक भी सूचना का प्रसार करते हैं और अपने परिसरों, एटीएम स्क्रीन, वेबसाइटों पर संदेश प्रदर्शित करके अपने ग्राहकों और जनता के बीच जागरूकता पैदा करते हैं।

- एफएलडब्ल्यू 2021 का आयोजन "ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण" विषय पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क) ज़िम्मेदारी से उधार लेना; ख) औपचारिक संस्थाओं से उधार लेना और ग) समय पर पुनर्भुगतान के बारे में जागरूकता पैदा करना था।
- एफएलडब्ल्यू 2025 को "वित्तीय साक्षरता: महिलाओं की समृद्धि" विषय पर मनाया गया। पहचान किए गए उप-विषयों में से एक विकास के लिए ऋण प्राप्त करना था।
